पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 2912 / अका. / का.प. / 2008 रायपुर, दिनांक : 6 / 10 / 2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की सोमवार, दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) उषा दुबे	–	सदस्य
6.	डॉ. सलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
7.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
9.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
10.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
11.	देवजी भाई, विधायक	–	सदस्य
12.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में प्रो. जयलक्ष्मी ठाकुर, श्री एस.के. चक्रवर्ती, स्वामी निखिलात्मानंद जी, श्री राहुल महावर, श्री त्रिलोचन पटेल, श्री चंदु लाल साहू, श्री विनोद खांडेकर एवं श्री भूपेश बघेल अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की आपात बैठक, दिनांक 04.08.2008 एवं विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.08.2008, 29.08.2008 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया गया।

<u>निर्णयः</u> अनुमोदित किया गया।

2. बी.ई. अष्टम सेमेस्टर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन तथा कम्प्यूटर साइंस शाखा मई – 2008 परीक्षा में टेबूलेशन चार्ट एवं उत्तर पुस्तिका के अंक में भिन्नता के संबंध में विचार किया गया।

<u>निर्णयः</u> रोल नम्बर 505196 बी.ई. अष्टम सेमेस्टर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन तथा कम्प्यूटर साइंस शाखा मई – 2008 की परीक्षा में पर्णप्रतिपर्ण तथा उत्तर–पुस्तिका के अंकों में भिन्नता के दोषी परीक्षक श्री ओम प्रकाश यादव को 5 वर्षो के लिए परीक्षा कार्य के लिए वंचित किया गया। एवं रोल नं.– 507057, 505155 के लिए मेसर्स ओसवाल डाटा इंदौर पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

3. बी.ए. भाग एक, केंद्र क्रमांक 108 आदर्श महाविद्यालय, गंज मण्डी रायपुर के कोड क्रमांक–302, अंग्रेजी भाषा की लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय परीक्षक द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरपुस्तिका की जांच के पश्चात्, जांच प्रतिवेदन, परीक्षाफल समिति के समक्ष रखा गया, समिति द्वारा प्राप्त अभिमत पर विचार किया गया।

<u>निर्णयः</u> निर्णय लिया गया कि प्रकरण की जाँच हेतु एक सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई। जाँच कार्यपरिषद् के सदस्य डॉ. एस.के. मुखर्जी करेंगे एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी गोपनीय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी होंगे।

4. सेठ आर.सी. विधि महाविद्यालय, दुर्ग में विधि खण्ड तीन के अंकसूचियों के साथ कोरी अंकसूची प्राप्त होने संबंध में, विचार किया गया।

<u>निर्णयः</u> निर्णय लिया गया कि सेठ आर.सी.एस. विधि महाविद्यालय दुर्ग में विधि खण्ड– तीन की अंकसूचियों के साथ कोरी अंकसूची प्राप्त होने के प्रकरण में मेसर्स ओसवाल डाटा इंदौर को चेतावनी दी जाय कि क्यों न उनके इस लापरवाही के लिए दोषी पाये जाने पर काली सूची में रखे जानें एवं उप कुलसचिव परीक्षा डॉ. बी.पी. साहू पर जवाबदेही तय की जाय। अंकसूची निर्माण के सम्बन्ध में पूरी प्रक्रीया को समझकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। जिनके सदस्य कार्यपरिषद् के सदस्य प्रो. रामखिलावन गुप्ता, एवं डॉ. आर.पी. दास होंगे तथा कुलसचिव डॉ. इन्दु अनंत समिति के संयोजक होंगे। समिति एक माह में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

5. शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग को गृह–विज्ञान विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने पर विचार किया गया।

<u>निर्णयः</u> मान्यता प्रदान की गई।

6. दुर्गा शिक्षण समिति द्वारा संचालित विवेकानन्द महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर में परिनियम 28 के तहत् सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति के अनुशंसा को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया गया।

	पदनाम	चयनित उम्मीदवार का नाम	वेतनमान
1.	सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)	1. कु. चेतना सोनी 2. कु. मुक्ता मेहरोत्रा 3. श्री जगन्नाथ साहा 4. श्री पियुष मेहता 5. डॉ. आभा शुक्ला 6. कु. गायत्री	परिनियम 27(10)(1) एवं परिनियम 28 (22)(1) के अनुसार देय होगा। रू.–8000–275–13500
	सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)	1. डॉ. सुशांत चक्रवर्ती	
	सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी)	1. कु. इंद्राणी सिह राय	
2.	ग्रंथपाल	1. कु. पूर्णिमा कुमारी	

सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर साइंस एवं क्रीड़ा अधिकारी के पद हेतु अनुमोदन, परीक्षाफल घोषित होने के बाद ही संभव है।

<u>निर्णयः</u> अनुमोदित।

7. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 01.07.2008 से शासन द्वारा स्वीकृत 6 प्रतिशत् अतिरिक्त महंगाई भत्ता स्वीकृत किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

8. परीक्षा 2007, मूल्यांकन केन्द्र शासकीय महाविद्यालय, धमतरी द्वारा ली गई अग्रिम राशि रू. 6 लाख का लेखा समायोजन के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः समायोजन मान्य किया गया।

9. केन्द्रीय मूल्यांकन ईकाई, 2008 के पारिश्रमिक देयकों के भुगतान एवं लेखा समायोजन पर विचार किया गया।

निर्णयः मान्य किया गया।

10. बार कौंसिल ऑफ इंडिया की समिति के निरीक्षण के समय डॉ. अलीम खान की विभाग में अनुपस्थिति, के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि डॉ. अलीम खान को उनके इस कृत्य के लिये भर्त्सना करते हुए उन्हें नोटिस दिया जाय कि क्यों न एक वेतन वृद्धि रोक दी जाए।

11. कु. निलिमा गडकरी के आवेदन पत्र, दिनांक 13.08.2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि कु. निलिमा गडकरी का शोध प्रबंध अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित किया जाय।

12. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज एवं कम्प्यूटर केन्द्र गोपनीय विभाग पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की इम्प्रेस्ट की राशि स्वीकृत करने पर विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि –

1. एकेडमी स्टाफ कॉलेज के लिए इम्प्रेस्ट राशि रू. 5000/–
2. कम्प्यूटर केन्द्र गोपनीय की इम्प्रेस्ट राशि रू. 20,000/–
3. डी.सी.डी.सी. विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रू. 5,000/–

स्वीकृति प्रदान की गई।

13. B.Lib. I.Sc. में प्रवेश के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि प्रवेश देना संभव नहीं है, क्योंकि प्रवेश की तिथि समाप्त हो गई है।

14. श्री राकेश पात्रे, संचालक, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव, महाविद्यालय जगदलपुर के विरूद्ध जांच – जांच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

<u>निर्णय</u>: निर्णय लिया गया कि राज्य शासन को पत्र लिखा जाए की इस सम्बन्ध में जाँच की गई थी, उसके बारे में निर्णय से अवगत् कराया जाय ताकि आगे महाविद्यालय पर कार्रवाई की जा सके। 10 दिवस के अन्दर महाविद्यालय का पक्ष सुनकर विचारार्थ रखा जाय।

15. श्री बेनीराम औसर, उच्च वर्ग लिपिक, वर्ग–1 (निलम्बित) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विरूद्ध विभागीय जांच– जांच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

<u>निर्णय</u>: प्रकरण पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उच्च वर्ग लिपिक–1 निलम्बित को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाय। डॉ. बी.पी. साहू उप कुलसचिव परीक्षा ने दिनांक 28.05.2008 को श्री बेनीराम औसर के संबंध में कुलपति कक्ष में जो चर्चा हुई और जाँच अधिकारी के समक्ष इन्होंने अपने बयान में तथ्यों को छुपाया गया तथा तोड़–मरोड़कर पेश किया गया। एक जिम्मेदार अधिकारी होते हुए उनके इस कृत्य के लिए डॉ. साहू का एक वेतनवृद्धि (Increment) रोका जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से

I. परिनियम–28 के अंतर्गत महाविद्यालय के प्राचार्यों के नियुक्ति के संबंध में लिफाफे खोले गये इसमें निम्नलिखित के चयन की अनुशंसा की गई :–

पद	महाविद्यालय का नाम	अनुशंसित
प्राचार्य	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, गरियाबंद	डॉ. शैलप्रभा कोष्टा

II. डॉ. सुरेश मोहन के प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि Last Salary Pension पर पुनर्नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक आगामी तिथि के लिए 3:30 बजे स्थगित की गई।

(हस्ताक्षर) कुलपति
(अध्यक्ष)

(हस्ताक्षर) कुलसचिव
(सचिव)

दिनांक 06.10.2008 को स्थगित कार्यपरिषद् की बैठक सोमवार दिनांक 13.10.2008 को पूर्वान्ह 11:00 बजे आयोजित की गई। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
6.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
7.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
8.	श्री देवजी भाई, विधायक	–	सदस्य
9.	श्री चंदु लाल साहू, विधायक	–	सदस्य
10.	श्री भूपेश बघेल, विधायक	–	सदस्य
11.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

16. श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधिक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के विरूद्ध विभागीय जांच– जांच प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि श्री परदेशी राम भोई कनिष्ठ अधिक्षक निलंबित को अनिवार्य सेवानिवृत्त दी जाय।

जाँच अधिकारी प्रो. एस.के. सिंह अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री भोई को दोष सिद्ध होने के बावजूद इन्होनें आरोप क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 श्री भोई को दोषमुक्त माना उनके इस आचरण की कार्यपरिषद् भर्त्सना करती है।

17. श्री राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जबलपुर एवं श्री उदयन्त तिवारी, कनिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति एवं देयक के सम्बन्ध में विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि इसे विशेष प्रकरण मानते हुए स्वीकार किया गया।

18. दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत् भवन निर्माण हेतु दी गई राशि के उपयोग के संबंध में यू.जी.सी. निरीक्षण दल के साथ हुई बैठक के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः भवन निर्माण संबंधी एक प्रकरण पूरक सूची क्रमांक 2 में भी है। अतः पूरक सूची के साथ निर्णय लिया जाय।

19. डॉ. आर.एन. बघेल, रीडर, भौतिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को कार्यभार मुक्त करते हुए दो वर्ष धरणाधिकार स्वीकृत करने पर विचार किया गया।

निर्णयः स्वीकार किया गया। धरणाधिकार 2 वर्ष के लिए स्वीकृत।

20. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.07.2008, 10.09.2008 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 12.09.2008 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः सम्पुष्टि प्रदान की गई।

21. कुल अनुशासक (प्रॉक्टर) के कार्य अवधि मानदेय के सम्बन्ध में डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, पूर्व प्रॉक्टर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के आवेदन पत्र दिनांक 06.06. 2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः आडिट को मानदेय रोके जाने पर नोटिस दिया जाय। परिनियम में मानदेय स्वीकृत करने का अधिकार है।

22. बी.एड्. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया गया।

निर्णयः राज्य सरकार की थी, फीस निर्धारण समिति गठित है, अतः राज्य शासन के निर्णय की प्रतीक्षा कर ली जाय।

23. सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट में पैरवी के लिए अधिवक्ताओं का पैनल का तैयार करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः पैनल बनाने हेतु नाम –

रायपुर सिविल कोर्ट

(1) डॉ. आर.एन. व्यास

(2) श्री रमाकान्त मिश्रा

(3) श्री दिवाकर सिन्हा

बिलासपुर उच्च न्यायालय

(1) श्री एन.के व्यास

(2) श्री राजीव श्रीवास्तव

(3) श्री अरूण साव

(4) श्री आशीष श्रीवास्तव

(5) श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव

(6) श्री अमृतो दास

(7) ''ला फर्म''

24. डॉ. आर.के. प्रधान के आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2008 के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– विस्तृत जानकारी के साथ आगामी बैठक में रखा जाय।

25. पूरक परीक्षा शुल्क चालान से जमा करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः– इसे सिद्धान्ततः स्वीकार्य किया जाता है। चालान में उल्लेख हो कि यदि छात्र गलत तरीके से फीस जमा करता है तो वह विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होगा।

पूरक विषयसूची

1. विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.09.2008 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

2. विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 03.07.2008 के कार्यवृत्त पर विचार किया गया।

निर्णयः श्री बी.पी. भंवर सहायक अभियंता को तत्काल निलंबित किया जाय इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तुरंत उसके कार्यालय को सील किया जाए तथा समस्त निर्माण कार्यों की जाँच कराई जाए एवं विश्वविद्यालय में (बस्तर परिसर सहित) चल रहे निर्माण कार्यों की जाँच सक्षम इकाई से कराई जाय।

3. अकादमिक विभाग के इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/– (दस हजार रूपए) में वृद्धि कर रू. 20,000/– (बीस हजार रूपए) एवं कम्प्यूटर अध्ययनशाला की इम्प्रेस्ट राशि रू. 4,000/– (चार हजार रूपए) में वृद्धि कर रू. 10,000/– (दस हजार रूपए) किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः
1. अकादमिक विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रू. 20,000/–
2. कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. स्व. डॉ. मुरारी लाल शुक्ला स्मृति गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने हेतु रू. 50,000/– (पचास हजार रूपए) निधि स्थापित किये जाने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि स्व. डॉ. मुरारी लाल शुक्ला स्मृति गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने हेतु रू. 50,000/– (पचास हजार रूपए) निधि स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय में जमा कराने की अनुमति प्रदान की गई।

5. केन्द्रीय अपलेखन समिति में कार्यपरिषद् द्वारा एक सदस्य का मनोनयन पर विचार किया गया।

निर्णयः डॉ. एस.जे. केकरे का मनोनयन किया गया।

6. डॉ. (श्रीमती) एम.ई. पाटलिया, प्राचार्य, पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई के आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः निर्णय लिया गया कि पी.जी. कॉलेज ऑफ नर्सिंग भिलाई, में सीट वृद्धि को, इस शर्त पर स्वीकार्य की कि वे काउंसिलिंग प्रक्रिया से प्रवेश दे सकेंगे।

7. सेन्ट थॉमस महाविद्यालय, रूंआ बांधा भिलाई के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय को परीक्षा आवेदन उपलब्ध कराये जाने की सूचना ग्रहण किया गया।

8. M/S. Eppendorf AG. 22331, Hamburg, Germany को रूपये 6,78,426/— भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णयः भुगतान स्वीकृति प्रदान की गई।

9. श्री एन.के. दयाल, उच्च वर्ग लिपिक वर्ग—दो, सेवानिवृत्त के निलम्बन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णयः विस्तृत टीप के साथ अगली बैठक में रखा जाय।

10. डॉ. आर. प्रसाद, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर के आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2008 पर विचार किया गया।

निर्णयः परिनियमों में प्रावधान पर भी आडिट द्वारा अनावश्यक आपत्ति पर नोटिस दी जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. फरवरी—मार्च 2008 में सम्मिलित बी.बी.ए. (पुराना पाठ्यक्रम) प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किये जाने पर विचार किया गया।

निर्णयः निम्नलिखित सभी 10 महाविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस दिया जाय —

1. सेंट्रल कॉलेज ऑफ आई.टी. रायपुर
2. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा. रायपुर
3. पैलोटी कॉलेज रायपुर
4. दिशा कॉलेज रायपुर
5. मैट्स कॉलेज रायपुर
6. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय, रायपुर
7. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, भिलाई—6
8. स्वामी स्वरूपानंद शिक्षण संस्थान, भिलाई
9. भिलाई नायर समाजम् महाविद्यालय, भिलाई
10. कान्फ्लूएन्स कॉलेज राजनांदगांव

2. डॉ. महेश चंद्र शर्मा, संस्कृत विभागाध्यक्ष, एच.आई.जी. 2/29, बोरसी कॉलोनी, दुर्ग, के आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2008 पर विचार किया गया।

<u>**निर्णयः**</u> प्रकाशन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाय कि प्रकाशन में विश्वविद्यालय के मोनो का प्रयोग न किया जाय। पूर्व में प्रचलित प्रावधान के अनुसार, नियमानुसार अनुमति प्रदान किया गया।

3. फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत् उपकरण क्रय के अनुमोदन पर विचार किया गया।

<u>**निर्णयः**</u> अनुमोदित।

4. नये तीन विश्वविद्यालय

1.	2.	3.
आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर	सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
आयुष मेडिकल सम्पूर्ण छत्तीसगढ़।	सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया राजस्व जिलों के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।	कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों के सीमा के भीतर समाविष्ट क्षेत्र।

1. आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर 2. सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर 3. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, घोषित हो चुके हैं। नये विश्वविद्यालय के सृजन के बाद राज्य शासन के द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

5. कुलपति जी ने 2—3 अक्टूबर, 2008 को लखनऊ में कन्वेंशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स के आयोजन में भाग लिया। उस सहभागिता में भाग लेने पर उन्होंने यह महसूस किया कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवनी पर आधारित विस्तृत वृत्तचित्र तैयार कर विश्वविद्यालय के ग्रंथागार में रखा जाए ताकि आज की वर्तमान युवापीढ़ी (छात्र/छात्राएं) यह महसूस करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितना संघर्ष एवं बलिदान दिया गया है। कुलपति जी के इस प्रस्ताव को कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और कहा कि यह बहुत सामयिकी प्रयास है और इसे किया जाना चाहिए।

6. फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के विरूद्ध शिकायत पर गठित समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। अतः इस पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाय एवं कुलपति जी को सूचित किया जाय।

7. निम्नलिखित विषयों में शिक्षकों के पद हेतु हुए साक्षात्कार के लिफाफे खोले गए। चयन समिति के अनुशंसा अनुसार, इनके नियुक्ति को अनुमोदित किया गया –

1. फार्मेसी	रीडर–	UR – डॉ. प्रीति के. सुरेश	–	सीधी भर्ती के द्वारा
	व्याख्याता–	URF– कु. मंजु रावत	–	सीधी भर्ती के द्वारा
		UR – श्री गोपाल गर्ग	–	सीधी भर्ती के द्वारा
		UR – श्री अम्बर व्यास	–	सीधी भर्ती के द्वारा
		WL –श्री विशाल जैन	–	(प्रतीक्षा सूची)
		OBC–श्री दीपेन्द्र सिंह	–	सीधी भर्ती के द्वारा

2. रसायन व्याख्याता SC-BL–डॉ. मनमोहन लाल सतनामी –सीधी भर्ती के द्वारा
3. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में प्रोफेसर (एम.एड्.) के पद पर कोई प्रत्याशी योग्य नहीं पाया गया। अतः इस पद को पुर्नविज्ञापित किया जाय।

कुलपति
(अध्यक्ष)

कुलसचिव
(सचिव)

पृ.क्रमांक : 2913 /अका./का.प./2008   रायपुर, दिनांक : 6/10/2008

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

कुलसचिव